

हिन्दी

आपका वेतन



UNIONSWA.COM.AU/MWC
(08) 6313 6000



UNIONSWA.COM.AU/MWC

न्यूनतम वेतन

आपको कम से कम, आपका न्यूनतम वेतन अवश्य मलिना चाहिए।

कर लागू किए जाने से पहले, न्यूनतम वेतन* है:

- **\$26.44** डॉलर प्रति घंटा, या
- **\$1,004.90** प्रति 38 घंटे का सप्ताह
(2026-2027)

आपको प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) में, टीम मीटिंगों में, ट्रायल शिफ्ट में तथा व्यवसाय खोलने और बंद करने में बतियाए गए समय के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। आवास या भोजन, आपके वेतन की जगह नहीं ले सकते हैं। कमाई के रूप में यह वास्तविक धन होना चाहिए।

अवार्ड वेतन

‘अवॉर्ड्स (Awards)’ उन न्यूनतम वेतन दरों और रोज़गार की शर्तों को कहा जाता है जो किसी विशेष उद्योग या व्यवसाय पर लागू होती हैं। अवॉर्ड ‘फ़ेअर वर्क कमीशन’ द्वारा बनाए जाते हैं तथा उन्हें न्यायालय में कानूनी रूप में लागू करवाया जा सकता है। आस्ट्रेलिया में 5 में से लगभग 1 कर्मचारी अवॉर्ड के अधीन आते हैं।

कैजुअल लोडिंग

यदि आप एक कैजुअल कर्मचारी हैं, तो भुगतान शुद्ध अवकाश जैसे लाभों की कमी की भरपाई के लिए आप ‘कैजुअल लोडिंग’ (जो आमतौर पर 25% होती है) के रूप में अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं।

पैनल्टी रेट

यदि आप सप्ताहांत को या सार्वजनिक अवकाश के दिन काम करते हैं, या यदि आप ओवरटाइम, तड़के सुबह या रात की पाली (शिफ्ट) में काम करते हैं, तो आप उच्च वेतन दर या अतिरिक्त अवकाश के हकदार हो सकते हैं।

वेतन की रसीद (पे-स्लपि/Pay Slips)

जब आपको अपना वेतन प्राप्त होता है (नकद, चेक या बैंक ट्रांसफर), तो आपको भुगतान प्राप्त करने के 1 कामकाजी दिन के भीतर पे-स्लपि आवश्यक रूप से मलिनी जानी चाहिए। अपनी पे-स्लपि को संदर्भ के लिए संभाल के रखें।

पे-स्लपि में निम्न चीज़ें दर्शाई जानी चाहिए:

- काम करके आपने कतिनी कमाई की है
- लोडिंग, पैनल्टी दरें और अन्य बनती हकदारियाँ जिनका भुगतान आपको किया गया है
- आपके वेतन से की गई कोई भी कटौती।

वर्ककवर (WorkCover)

यदि आप काम की वजह से घायल या बीमार हो जाते हैं, तो आप भुगतान शुद्ध अवकाश तथा चिकित्सीय खर्चों का भुगतान प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं।

*कुछ कर्मचारियों को सीमिति परस्थितियों में कम वेतन दिया जा सकता है, जैसे 21 वर्ष से कम आयु के कुछ कर्मचारी तथा कुछ अपरेंटिस (apprentices) या प्रशिक्षार्थी। अधिक जानकारी के लिए फ़ेयर वर्क आमबुडज़मन (काम काज संबंधी मुद्दों के लोकपाल) से संपर्क करें: <https://www.fairwork.gov.au/>